सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 220/15 **निर्णय दिनांकः—22—08—2019**

1. लक्ष्मणराम पुत्र गंगाराम जाति गहलोत निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23—07—2009
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 23—07—2009 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में चक 20 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 6/20 की 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के

साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में दिनांक 11—08—2008 को कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई है अतः अपीलांट का आवंटन 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण आवंटन खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—07—2009 के विरूद्व अपील दिनांक 29—01—15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी

प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—07—2009 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 29—01—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट को उसका आवेदन खारिज करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं करते हुए आवेदन खारिज किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए तहसील कोलायत में चक 20 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 6/20 की 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाने के कारण निरस्त कर दिया गया।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया

है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को दो बार नोटिस जारी करने का उल्लेख करते हुए अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। आवंटन आदेश मे कहीं अंकित नहीं किया गया है कि भूमि की 20 प्रतिशत कीमत कब तक जमा करवानी है। दोनों नोटिस किस माध्यम से भिजवाये गये है, स्पष्ट नहीं किया गया है तथा न ही पता स्पष्ट किया गया है। अपीलांट को किसमीदेसर, बीकानेर के पते पर नोटिस जारी किये गये है, जबकि किसमीदेसर बीकानेर के नगरीय क्षेत्र की आबादी है, जिसमे काफी वृहद क्षेत्र होने के कारण केवल किसमीदेसर लिख देने से नोटिस पहुॅचनें की संभावना नहीं रहती है। तत्पश्चात् एकतरफा तौर पर आवंटन खारिज कर दिया गया। आवंटन पत्रावली में खारिजी आदेश से आवेदक को सूचित करने का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमानी पूर्ण तरीके से पारित किया गया आदेश होने से पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—07—2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रत कायम रखते हुए अपीलांट के आवेदन का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर